संशोधन आदेश

संख्या- 162 / 2023 / 951 / चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय:- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत कार्यक्रम कराये जाने हेतु व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 149/2023/951/चार-2023 दिनांक 27 मार्च, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 149/2023/951/चार-2023 दिनांक 27 मार्च, 2023 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुए उल्लिखित शर्तों के साथ निम्नलिखित शर्त को सम्मिलित किया जाता है:-

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति की धनराशि आहरित कर उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी और संस्थान द्वारा नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

3. शासनादेश संख्या- 149/2023/951/चार-2023 दिनांक 27 मार्च, 2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 162 /2023 / 951 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in